

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 472]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 अगस्त 2018—भाद्र 5, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2018

क्र. बी-15-8-2010-चौदह-2.—मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के ज्ञापन पत्र एवं नियम 1980 की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मण्डल में निम्ननांकित प्रगतिशील कृषकों को अशासकीय सदस्य नामांकित करता है:—

क्रमांक (1)	प्रगतिशील कृषकों के नाम (2)	मनोनीत अशासकीय सदस्य (3)
1.	श्री विक्रम तिवारी पिता स्व. श्री रामकुमार तिवारी, ग्राम-बोरना, पो. जैत, तह. बुदनी, जिला-सीहोर (म. प्र.).	“गेहूँ” उत्पादन करने वाला कृषक
2.	श्री संतोष पाटीदार पिता श्री राजाराम पाटीदार, ग्राम एवं पोस्ट बलवाड़ी, जिला खरगौन.	“कपास” उत्पादन करने वाला कृषक
3.	श्री चन्द्रमोहन गुप्ता पिता श्री शंकरलाल गुप्ता, ग्रा. बोछार तह. गोटेगांव, जिला-नरसिंहपुर (म. प्र.).	“दलहन-तिलहन” उत्पादन करने वाला कृषक.

2. उक्त अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से 02 वर्ष की कालावधि तक रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.